कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,
अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ 16(Mining)2021 / एफसीए / प्रमुवसं / 8155 दिनांक 29/11/23

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर।

विषयः–Diversion of 189.2515 ha. (Earlier Proposal 248.5515) of forest land in favour of DMG, Rajasthan in Pahadpur Block A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan . (Proposal No. FP/RJ/MIN/149012/2021)

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक एफ.( )2021–22 / एफसीए / मुवसंभ / 6330 दिनांक 17.11.2023.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सहायक महानिरीक्षक वन, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8–14 / 2021–F(Vol) दि. 05.09.2023 के संदर्भ में .आपके संदर्भित पत्र से प्रेषित चार बिन्दुओं की सूचनाओं के परीक्षण उपरांत बिन्दु 1 एवं 4 की सूचना निम्नानुसार अपूर्ण पाई गई हैः–

Obervations	Compliance
1. The State Government shall furnish condition- Condition-wise compliance on the conditions stipulated in FC approval for diversion of 398.0085 ha. of forest land under FCA, 1980 vide Ministry's letter No. 8-14/2021 FC dated 11.03.2022, including the area mined out so far.	बिन्दु संख्या 1 में लगाये गये आक्षेप के क्रम में प्रस्ताव FP/RJ/MIN/ 125714/2021 में 398.0085 है0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रदत्त विधिवत स्वीकृति (Stage-II Approval) पत्रांक 8–14 / 2021– एफसी दिनांक 11.03.2022 में अधिरोपित शर्तों की पालना प्रेषित किया जाना है। आप द्वारा संदर्भित पत्र से प्रेषित दिनांक 11.03.2022 को जारी विधिवत स्वीकृति की पालना रिपोर्ट के निम्न बिन्दुओं की सूचना अपूर्ण है। **Information required with reference to Point No. 1** Point No. V:- Current Status/annual compliance report has not been submitted. Point No. VI:- (a) Current Status of safety zone demarcation. (b) Status of plantation in the safety zone Point No. VII:- Status of leases for period/validity of individual lease. Point No. X:- Status of fund deposited in DMFT and expenditure with activity wise. Point No. XI:- Status of felling of trees and translocation of trees. Point No. XIII:-Compliance/annual report regarding reclamation plan as per approved mining plan. Point No. XVI:- Status of boundary (is RCC Pillars) of diverted forest land. Point No. XVIII:-Diverted Forest land can't be transfer to any person department without approval of Central Government. But Mining Department auctioned the leases and transfer of leases without approval of Central Government.

....P.T.O.

Scanned with CamScanner

4. The State Govt. shall submit the present status of the court case due to which the 44 ha. area has been deleted from the instant proposal.	बिन्दु संख्या 4 में लगाये गये आक्षेप के क्रम में विचाराधीन प्रस्ताव FP/RJ/MIN/149012 /2021 में विलोपित 44 है0 वनक्षेत्र के संबंध में विचाराधीन कोर्ट केस की वर्तमान स्थिति की जानकारी चाही गई है। किन्तु आप द्वारा करीब 1.5 वर्ष पूर्व की पुरानी स्थिति से ही अवगत कराया गया है। अतः कोर्ट केस की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाना है।

अतः आपके संदर्भित पत्र से प्रेषित अपूर्ण सूचना के 2 सैट मूल ही लौटाया जाकर लेख है कि पूर्ण एवं सही सूचना भिजवावे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नः—उपर्युक्तानुसार (2 सैट)।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 16(Mining)2021 / एफसीए / प्रमुवसं / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र की छाया प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अतिरिक्त निदेशक (खान) सतर्कता, पर्यावरण एवं विकास, नोडल अधिकारी वन मामलात, खान एवं भू—विज्ञान विभाग, खनिज भवन, उदयपुर।
2. उप वन संरक्षक, भरतपुर।
3. खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, भरतपुर।

Sd-

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Scanned with CamScanner